

विभाग का नाम :- खाद्य संरक्षा विभाग,

विभाग का पता :- आठवां तल, मयुर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली. 110001

तारांकित प्रश्न संख्या :- 59-तारांकित

दिनांक:- 28-02-2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री जरनैल सिंह

क्या स्वास्थ्य मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :-

	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली में पका-पकाया/गर्म खाना पैक करने और परोसने के लिए कौन-कौन सी किस्म के प्लास्टिक/पेट्रोकेमिकल आधारित पात्र अनुमत हैं,	इस संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 को खाद्य सुरक्षा मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया गया है, जोकि 1 जुलाई 2019 से लागू हो जाएगा। विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए अनुमत प्लास्टिक सामग्री की सूची 'क' संलग्न है।
ख)	गैर अनुमोदित प्लास्टिक/पेट्रोकेमिकल से बने पात्रों का प्रयोग करने वाले और इनमें पका-पकाया/गर्म खाना पैक करने और परोसने वाले अपराधियों पर अभियोग चलाने और दण्ड देने संबंधी कौन-कौन से प्रावधान हैं,	गैर अनुमोदित प्लास्टिक/पेट्रोकेमिकल से बने पात्रों का प्रयोग करने पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में सजा का प्रावधान है। और, यदि उसमें पैक/परोसा हुआ खाना असुरक्षित पाया जाता है, तो खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 में सजा का प्रावधान है
ग)	क्या दिल्ली में थर्मोकोल/पॉलिस्टीरीन पदार्थ से संबंधित सामग्री से निर्मित पात्र पका-पकाया/गर्म खाना पैक करने और परोसने के लिए अनुमत हैं,	खाद्य सुरक्षा मानक (पैकेजिंग एवं लेवेलिंग) विनियम 2011 की धारा 2.1.1 (2) के अनुसार पॉलिस्टीरीन (आईएस:10142) अनुमत है। (संलग्नक- 'ख')
घ)	यदि नहीं, तो ऐसे अपराध करने वाले संगठनों/विक्रेताओं को पकड़ने और दण्ड देने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है,	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।
ङ)	ऐसे अपराध करने वाले संगठनों और विक्रेताओं को दिए जाने वाले दण्ड का विवरण क्या है, और	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।
च)	दिल्ली में वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान थर्मोकोल/पॉलीस्टीरीन वर्ग की सामग्री इस्तेमाल करने वाले जिन संगठनों पर अभियोग चलाकर जिन्हें दण्डित किया गया, उन पर लगाई गई पैनल्टी सहित उनका पूर्ण विवरण क्या है?	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

गुरप्रीत  
GURPREET SINGH  
Administrative Officer

अनुसूची - III

संलग्नक-क

प्लास्टिक सामग्री जो खाद्य उत्पादों के सीधे सम्पर्क में आते हैं

क्र.सं	मानकों की सूची
1.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली पॉलीथीन के लिए विनिर्देश - आईएस 10146
2.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली पॉलीस्टीन के लिए विनिर्देश - आईएस - 10142
3.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली पॉलीविनाईल क्लोराईड (पीवीसी) और उसके महपॉलिमरों के लिए विनिर्देश - आईएस 10151
4.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली पॉलीप्रोपीलेन और उसके महपॉलिमरों के लिए विनिर्देश - आईएस 10910
5.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली लोनोमर रेजिन्स के लिए विनिर्देश - आईएस 11434
6.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली एथीलेन एक्रिलिक एमिड (ईएए) महपॉलिमरों के लिए विनिर्देश - आईएस 11704
7.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली पॉलीएल्केलेन टैरीफेथलेट्स (पीईटी एवं पीवीटी) के लिए विनिर्देश - आईएस 12252
8.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली नायलोन 6 पॉलीमर के लिए विनिर्देश - आईएस 12247
9.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली इथाइलीन विनाईल एमीटेड (ईवीए) महपॉलीमिर्स के लिए विनिर्देश - आईएस 13601
10.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली एथीलीन मेथा एक्रिलिक एमिड (ईएमएए) के लिए विनिर्देश - आईएस 13576
11.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली पॉलीकार्बोनेट रेजिन्स के लिए विनिर्देश - आईएस 14971
12.	खाद्य तेल, घी और वनस्पति के पैकेजिंग के लिए लचीले पैकेजिंग सामग्री के लिए विनिर्देश 14636
13.	दुलाई और बाहर निकालने के लिए पॉलिएथिलीन टैरीफेथलेट्स (पीईटी और पीवीटी) के लिए विनिर्देश - आईएस 13193
14.	पॉलीएथीलीन फिल्म एवं शीटों के लिए विनिर्देश -आईएस 2508
15.	रैखिक कम घनत्व वाली पॉलीथीन (एलएलडीपीई) फिल्म के लिए विनिर्देश- आईएस- 14500
16.	उच्च घनत्व वाली पॉलीएथिलीन सामग्री का दुलाई और बाहर निकालने के लिए विनिर्देश- आईएस 7328
17.	खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके सम्पर्क में आने वाली मेलामाईन-फार्मलाडिहाइड रेजिन्स के लिए विनिर्देश - आईएस 14999
18.	कम घनत्व पॉलीथीन फिल्में - आईएस 2508 है
19.	ब्लो मोल्ड पॉलीओलेफिन कंटेनर - भाग 2: 5 लीटर से ऊपर तक और जिममे 60 लीटर क्षमता भी शामिल है - आईएस 7408
20.	स्ट्रेच किंग फिल्म - आईएस 14995 है

गुरप्रीत

GURPREET SINGH  
Administrative Officer

- (a) a number of retail packages, where such first mentioned package is intended for sale, distribution or delivery to an intermediary and is not intended for sale direct to a single consumer; or
- (b) a commodity of food sold to an intermediary in bulk to enable such intermediary to sell, distribute or deliver such commodity of food to the consumer in smaller quantities.

## CHAPTER-2 PACKAGING AND LABELLING

### 2.1: Packaging

#### 2.1.1: General Requirements

1. A utensil or container made of the following materials or metals, when used in the preparation, packaging and storing of food shall be deemed to render it unfit for human consumption:—

- (a) containers which are rusty;
- (b) enameled containers which have become chipped and rusty;
- (c) copper or brass containers which are not properly tinned
- (d) containers made of aluminium not conforming in chemical composition to IS:20 specification for Cast Aluminium & Aluminium Alloy for utensils or IS:21 specification for Wrought Aluminium and Aluminium Alloy for utensils.

2. Containers made of plastic materials should conform to the following Indian Standards Specification, used as appliances or receptacles for packing or storing whether partly or wholly, food articles namely :—

- (i) IS : 10146 (Specification for Polyethylene in contact with foodstuffs);
- (ii) IS : 10142 (Specification for Styrene Polymers in contact with foodstuffs);
- (iii) IS : 10151 (Specification for Polyvinyl Chloride (PVC), in contact with foodstuffs);
- (iv) IS : 10910 (Specification for Polypropylene in contact with foodstuffs);
- (v) IS : 11434 (Specification for Ionomer Resins in contact with foodstuffs);
- (vi) IS: 11704 Specification for Ethylene Acrylic Acid (EAA) copolymer. (vii)
- IS: 12252 - Specification for Poly alkylene terephthalates (PET).
- (viii) IS: 12247 - Specification for Nylon 6 Polymer; (ix)
- IS: 13601 - Ethylene Vinyl Acetate (EVA);
- (x) IS: 13576 - Ethylene Metha Acrylic Acid (EMAA);
- (xi) Tin and plastic containers once used, shall not be re-used for packaging of edible oils and fats;

Provided that utensils or containers made of copper though not properly tinned, may be used for the preparation of sugar confectionery or essential oils and mere use of such utensils or containers shall not be deemed to render sugar confectionery or essential oils unfit for human consumption.

### 3. General packaging requirements for Canned products,

- (i) All containers shall be securely packed and sealed.
- (ii) The exterior of the cans shall be free from major dents, rust, perforations and seam distortions.
- (iii) Cans shall be free from leaks.

#### 2.1.2: Product specific requirements